न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट तालाब)

वाद संख्या :– 02/89/2015

<u>गोपीराम बनाम सरकार</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 19.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट तालाब पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.10.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 30/0.26, 31/0.19, 32/0.19, 33/0.46, 140/0.39, 141/0.31, 142/0.34 है. वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 04.01.2010 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी मौका की यथास्थिति बनाये रखें व कार्यकाशत प्रार्थी में रूकावट मजाहमत न करने तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2009 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 9 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण में आराजी विवादित की दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 30/0.26, 31/0.19, 32/0.19, 33/0.46, 140/0.39, 141/0.31, 142/0.34 है. वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 कैम्प कोर्ट तालाब पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट तालाब)